



2026:AHC: 175622

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1115 वर्ष 2026

राजेश्वरी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राम बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 05.08.2026 के माध्यम से, इस न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को बंदी (कार्पस), अर्थात् चेतन प्रकाश को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, थाना बरहन, जिला आगरा के उप-निरीक्षक श्री शोभित शर्मा द्वारा बंदी (कार्पस) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस) से विस्तार से बातचीत किया। बातचीत के दौरान, बंदी (कार्पस) ने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग आठ वर्ष है और वर्तमान में वह कक्षा 3 में पढ़ रहा है। उसने कहा कि वह अपने पिता, मुलायम सिंह के साथ रह रहा है, और उनकी संगति में काफी सहज है। उसने आगे कहा कि उसके पिता उसकी उचित देखभाल कर रहे हैं और वह अपनी माता के साथ नहीं रहना चाहता है। न्यायालय ने बंदी (कार्पस) और उसकी माता के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया, हालांकि, समझाने के बावजूद, बंदी (कार्पस) ने उसके साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। जिस तरीके से बंदी (कार्पस) ने न्यायालय के समक्ष प्रतिक्रिया दी और आचरण किया, उससे यह स्पष्ट था कि उसने अपने पिता के साथ एक मजबूत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भावनात्मक जुड़ाव और सुरक्षा की भावना विकसित कर ली है और वह अपने वर्तमान वातावरण में पूरी तरह से सहज है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, राजेश्वरी से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह विकलांग व्यक्ति है और प्रत्यर्थी संख्या 4, मुलायम सिंह के साथ उसके विवाह से तीन बच्चे पैदा हुए थे। उसने कहा कि उसकी दो पुत्रियों, जो दोनों बंदी (कार्पस) से छोटी हैं, की अभिरक्षा वर्तमान में उसके पास है। उसने आगे कहा कि वह अपनी आजीविका के लिए सिलाई का काम करती है और अपने माता-पिता के साथ रह रही है, जिन पर वह काफी हद तक निर्भर है। उसके अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 4, उसका अलग रह रहा पति, एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है और किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध बनाए हुए है, जिसके कारण वह उसके साथ वैवाहिक घर में रहने के लिए इच्छुक नहीं है।

याचिकाकर्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि बंदी (कार्पस) की माता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा की हकदार है। हालांकि, यह न्यायालय मामले में विद्यमान व्यावहारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति अनिश्चित प्रतीत होती है और वह पहले से ही अपने माता-पिता पर निर्भर है, जो दो छोटी पुत्रियों के भरण-पोषण में भी उसे सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में, परिस्थितियों में कोई तात्त्विक परिवर्तन हुए बिना, बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपना उस पर एक अतिरिक्त वित्तीय और भावनात्मक बोझ डाल सकता है और इस प्रक्रम पर, अवयस्क के सर्वोपरि कल्याण और सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता का दावा, केवल जैविक माता के रूप में उसकी स्थिति के आधार पर, अवयस्क के कल्याण, भावनात्मक सुरक्षा और व्यक्ति प्राथमिकता के विरुद्ध तौले जाने पर एक अधिभावी विचार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, मुलायम सिंह से भी बातचीत किया। उसने स्पष्ट रूप से अपनी अलग रह रही पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह उसके साथ वैवाहिक घर में रहने के लिए इच्छुक है। हालांकि, उक्त प्रस्ताव को याचिकाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया है, जिसने स्पष्ट रूप से उसके साथ सहवास फिर से शुरू करने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आगे कहा कि वह एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है और जिस अवधि के दौरान वह अपने व्यवसाय के संबंध में घर से दूर रहता है, बंदी (कार्पस) की देखभाल उसके माता-पिता द्वारा की जाती है। उसने उस स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी एक प्रमाणित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जिसमें बंदी (कार्पस) पढ़ता है, जो पुष्टि करता है कि बंदी (कार्पस) वर्तमान में कक्षा 3 में पढ़ रहा है। न्यायालय के समक्ष रखी गई परिस्थितियां इंगित करती हैं कि वर्तमान में बंदी (कार्पस) की शैक्षिक और दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और वह मौजूदा वातावरण में अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने में सक्षम रहा है।

पक्षकारों के तर्कों पर विचार करने के पश्चात और, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, बंदी (कार्पस) के साथ न्यायालय की बातचीत के संबंध में, यह न्यायालय पाता है कि अभिरक्षा के प्रश्न को निर्धारित करने में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित है। न्यायालय को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जो न केवल अवयस्क की शारीरिक भलाई को बल्कि उसकी भावनात्मक सुरक्षा, शैक्षिक निरंतरता, मनोवैज्ञानिक स्थिरता और समग्र विकास को भी सुरक्षित करे।

वर्तमान वाद में, बंदी (कार्पस), जिसकी आयु लगभग आठ वर्ष है और वह कक्षा 3 में पढ़ रहा है, ने स्पष्ट रूप से अपने पिता के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत से यह भी पता चलता है कि वह अपने पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और उनकी संगति में सुरक्षित और सहज महसूस करता है। न्यायालय के ध्यान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लाई गई है जो अभिरक्षा की मौजूदा व्यवस्था को बाधित करने की गारंटी दे, विशेष रूप से तब जब ऐसी बाधा अवयस्क की भावनात्मक और शैक्षिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच का विवाद अनिवार्य रूप से उनके अलगाव और याचिकाकर्ता द्वारा अपने पति के विरुद्ध किसी अन्य महिला के साथ उसके कथित संबंध के संबंध में लगाए गए आरोपों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों के बीच वैवाहिक कलह की प्रकृति चाहे जो भी हो, उसे अपने आप में, अवयस्क की अभिरक्षा के प्रश्न को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। माता-पिता के अधिकारों और शिकायतों को बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार के सामने झुकना ही होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तदनुसार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि, इस प्रक्रम पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के पास उसकी मौजूदा अभिरक्षा को बाधित करना बंदी (कार्पस) के कल्याण और सर्वोत्तम हितों के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता की बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा उसे सौंपने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है। हालांकि, न्यायालय इस बात के प्रति समान रूप से सचेत है कि माता और उसके बच्चे के बीच के भावनात्मक बंधन को केवल इसलिए नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि बच्चा वर्तमान में पिता के साथ रह रहा है। बंदी (कार्पस) के संतुलित भावनात्मक विकास के लिए बंदी (कार्पस) और याचिकाकर्ता के बीच निरंतर और सार्थक संपर्क आवश्यक है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता, राजेश्वरी बंदी (कार्पस) से मिलने और बातचीत करने के प्रयोजन से प्रत्यर्थी संख्या 4 के निवास पर जाने के लिए स्वतंत्र होगी, और प्रत्यर्थी संख्या 4 ऐसी बातचीत को सुविधाजनक बनाने में सभी उचित सहयोग प्रदान करेगा। याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की मुलाकात से बंदी (कार्पस) की स्कूली शिक्षा, दिनचर्या या भलाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

प्रत्यर्थी संख्या 4 ने भी अपनी दो अवयस्क पुत्रियों, जो वर्तमान में उसकी अभिरक्षा में हैं, से मिलने के प्रयोजन से याचिकाकर्ता के निवास पर जाने की इच्छा व्यक्त किया है और कहा है कि वह ऐसी मुलाकातों के दौरान बंदी (कार्पस) को अपने साथ ले जाएगा। उक्त व्यवस्था, पारिवारिक और भाई-बहन के बंधन को बनाए रखने के लिए अनुकूल होने के कारण, पक्षकारों की आपसी सुविधा और बच्चों के कल्याण के अधीन भी अनुमति दी जाएगी।

पूर्वोक्त शारीरिक मुलाकात के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 4 शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिकाकर्ता के साथ बंदी (कार्पस) की दैनिक बातचीत को सुविधाजनक बनाएंगे। इसी प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 4 को पूर्वोक्त समयावधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी दो अवयस्क पुत्रियों के साथ बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी। दोनों पक्षकार यह सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे कि ऐसा संचार शांतिपूर्ण ढंग से और बिना किसी हस्तक्षेप, बाधा या कटुता के हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्वोक्त व्यवस्था का उद्देश्य पूरी तरह से बच्चों की भावनात्मक भलाई को सुरक्षित करना और माता-पिता दोनों के साथ उनके संबंधों को संरक्षित करना है। कोई भी पक्षकार मुलाकात या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग बच्चों पर दबाव बनाने, उन्हें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रभावित करने या दूसरे माता-पिता के विरुद्ध अलग करने के साधन के रूप में नहीं करेगा। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिपक्वता और संयम के साथ आचरण करें और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे उनके वैवाहिक विवादों या आपसी मतभेदों के संपर्क में न आए।

पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

19 अगस्त, 2026

हिमांशु